राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6 (179) परि./टैक्स/एच.क्यू/95/2 सी जयपुर, दिनांकः 01.03.2002

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ. 6 (179) परि/टैक्स/एचक्यू/95/2, दिनांक 31 मार्च, 1997 को अतिष्ठित करते हुए राज्स सरकार, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट एकबारीय कर संदत्त करने वाले और संनिर्माण उपस्कर यानों से भिन्न गैर–परिवहन मोटरयानों के विभिन्न वर्गो के मामले में कर की दर उसके स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विहित करती है।

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**वार्षिक कर की दर**
1.	केवल व्यक्तियों और हल्के व्यक्तिगत सामान के प्रवहण के लिए संनिर्मित और प्रयुक्त एकबारीय कर के अन्तर्गत नहीं आने वाले यानों से भिन्न गैर–परिवहन मोटर यान	
	(क) चैसिस के रुप में क्रय किया गया	चैासिस की लागत का 1.5%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 1.0%
2.	किसी भी अन्य प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले ऐसे अन्य गैर–परिवहन मोटर यान जैसेः– रिग, जनरेटर, कम्प्रेशर, की तरह के उपकरण लगे यान, क्रेन माउन्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टॉवर वेगन और ट्री ट्रिमिंग यान, दो ट्रक ब्रेक डाउन यान, रिकवरी यान इत्यादि।	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 1.5%
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी के रूप में क्रय किया गया	यान की लागत का 1.0%
3.	संनिर्माण उपस्कर यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 1.5
	(ख) सम्पूर्ण बॉडी के रूप में क्रय किया गया	यान की लागत का 1.0%

टिप्पण : (1) किसी मोटर यान के स्वामी या उस पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन संदय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय–5 के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं ।

(2) यदि ऊपर क्रम सं. 1 के सामने स्तम्भ सं. 2 में उल्लिखित ऐसे यान भाड़े या पारितोषिक पर चलते हुए पाये जाये तो ये यान, उस समपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाडे या पारितोषिक पर चलता हुआ पाया गया हो, समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए अधिसूचित कर देने के दायी होगें ।

(3) कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है ।

(4) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 2 के खण्ड (ग, क) के अनुसार ''सन्निर्माण उपस्कर यान'' से रबड़ टायरों वाले (जिसमें वातीय टायरों वाले यान भी सम्मिलित है), रबड़ पेड़ से युक्त या इस्पात ड्रम पहिये मढे हुए, स्वचालित, उत्खनक, लोडर, बेकहो, कम्पेक्टर रोलर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, चल क्रेन, डोजर, फोर्क उत्थापक ट्रक, स्वतः लदाई करने वाला कंक्रीट मिक्सर या कोई अन्य संनिर्माण उपस्कर यान या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है जिसे राजमार्ग से परे खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और साधारण सन्निर्माण संकर्मो में संक्रियाओं के लिए डिजाइन किया गया है, किन्तु जिस ''ऑन या ऑफ'' अथवा ''ऑन या ऑफ'' राजमार्ग क्षमताओं के साथ उपांतरित और विनिर्मित किया गया है।

स्पष्टीकरण : कोई सन्निर्माण उपस्कर यान ऐसा परिवहनेतर यान होगा जिसका सड़क पर चालन, उसके राजमार्ग से परे मुख्य कृत्य का आनुषंगिक है ओर जो कम अवधि के लिए 50 कि.मी. प्रति घंटा से अनाधिक गति पर है किन्तु ऐसे यानों में अन्य ऐसे सन्निमार्ण उपस्कर यान सम्मिलित नहीं हैं जो पूर्णरूप से राजमार्ग से परे रहते हैं और जिन्हें सड़क नेटवर्क से भिन्न किसी बन्द परिसर, कारखाने या खान में प्रयोग के लिए डिजाइन और अंगीकृत किया गया है और जो अपनी स्वयं की शक्ति से आम सड़कों पर चलने के लिए सज्जित नहीं है।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव